कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 40/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री रखाराम पुत्र श्री गणपत राज जाति जाट निवासी 4 एफटीपी नि0 कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टिब्बी

---प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः—09.08.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टिब्बी के विरूद्व प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टिब्बी द्वारा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई सूचना नही दी गई है। सूचना देने के आदेश फरमावे जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी से पत्र कमांक 845 दिनांक 06.08.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी का एक अन्य आवेदन पत्र जरिये डाक दिनांक 23.08.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी को कोई सूचना नही दी। सूचना देने के आदेश फरमाये जावे। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के उक्त पत्र कमांक 845 दिनांक 06.08.2018 के अवलोकन करने से पाया गया है कि उक्त पत्र में अंकित रकबे की धारा 22 की रिपोर्ट की जाती है। रकबे के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबीडब्लयू नं0 7135/2013 विचाराधीन है व स्थगन आदेश है। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई थी। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा उक्त पत्रांक 845 दिनांक 06.08.2018 की प्रतिलिपि अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की गई है। *ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है।* अतः अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official